RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल
04, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर – 302004.
फोन: 0141–2711263 फैक्स: 5159694–97 ई.मेल : ewasterpcb@gmail.com

क्रमांक: 278 दिनांक : 21.06.2021

नोटिस

इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उत्पादकों/ब्राण्ड स्वामियों/आयातकों हेतु विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिये आवेदन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस।

ई–वेस्ट(प्रबन्धन)नियम,2016 तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा पूर्व में जारी पब्लिक नोटिस दिनांक 23.04.2019 के अनुक्रमण में इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरणों के सभी उत्पादकों/ब्राण्ड स्वामियों/आयातकों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा विक्रय किये गये "इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरणों" का पुनः संग्रहण करना नियमानुसार अनिवार्य है।

इसके लिये उन्हें ई–वेस्ट(प्रबन्धन)नियम,2016 के तहत विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार(EPR Authorization) प्राप्त करना आवश्यक है जो केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल(CPCB), नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरणों के सभी उत्पादकों/ब्राण्ड स्वामियों/आयातकों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.08.2021 तक प्रारूप–1 में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल में आवेदन प्रस्तुत करें एवं राज्य मण्डल को राजस्थान राज्य हेतु निर्धारित पुनः संग्रहण के एक्शन प्लान से भी अवगत करावें। इसके अतिरिक्त जिन इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उत्पादकों/ब्राण्ड स्वामियों/आयातकों ने विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार (EPR Authorization) प्राप्त कर लिया है, वे राजस्थान में ई–वेस्ट के संग्रहण हेतु की गई कार्यवाही की पालना रिपोर्ट राज्य मण्डल को दिनांक 30.8.2021 तक प्रस्तुत करावें। पालना नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्यवाही की जा सकती है जिसमें सम्पूर्ण इकाई को बन्द किया जाना तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित किया जाना सम्मिलित है।

राज.संवाद/सी/21/2514 सदस्य सचिव